

20/12/26

फर्द अहकाम

रामसहाय वगै० बनाम मालीराम वगै०
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 192/2025 दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा 53,188 आर.टी.एक्ट
आज्ञा विस्तृत रूप से

क. सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
--------	---------------------------	-------------

22.12.2025

वादीगण की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 13-2-26 को पेश हों।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

13/2/26

पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित हुआ/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 6/1/26 को पेश हो।

(Signature)
सिडर

6/1/26

पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित हुआ/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 9/1/26 को पेश हो।

(Signature)
सिडर

9/1/26

पत्रावली आज पेश हुई। वादी रामसहाय व शिवदास स्वयं उपस्थित। वरिष्ठ नं. 50000 आवत वाह-192/25 पत्रावली के जवाब में वादी तथ्यों के जाहिर करते हुए कथन किया कि वरिष्ठ व अधिवासीगण के मध्य राजीनाम हो गया है। इसलिए ए उम्मेद के सिद्ध करना चाहते हैं। वरिष्ठ नं. 50000 की जाहिर किया कि पुनः वाद कारण उत्पन्न होने पर पुनः वाद पत्रावली के अंतर्गत कि सात वाह सिद्ध किया जावे।

12-2
रामसहाय

पुनः माफ। पत्रावली व जवाब के अवलोकन किया गया। इति पश्चात् के मध्य राजीनाम होने से वरिष्ठ वाद के बारे में चला कर इति हाल पर सिद्ध किने जाते हैं सहमत हैं वरु माफ अवेक्षण पर एकादश दिने के अंतर्गत लोक अदालत से आवना से जवाब स्वीकार किया जाकर पुनः तथ्य / वाद कारण उत्पन्न होने पर नया वाद पत्रावली के अंतर्गत कि सात वाह 192/25 किया जाकर रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली निहित हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)